राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1003/2016..... जिला : जयपुर

मैसर्स कमल कामर्शियल व्हीकल्स प्रा.लि.,एम.आई.रोड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरावंचन जोन–तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2016	**खण्डपीठ** **श्री ओ.पी.सैनी,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री डी कुमार, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी द्वारा कहा जायेगा) के द्वारा जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9, 10 (डी) सपठित अधिनियम की 55 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.12.2015 को पारित कर, कर रू. 4,75,832/–, शास्ति रू. 7,13,748/– एवं ब्याज रू. 1,99,850/– कुल रू. 13,89,430/– की मांग सृजित की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित राशि रू 13,89,430/– में से रू. 13,41,830/–के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 7,13,748/–की वसूली को स्थगित करते हुए शेष राशि रू. 6,28,082/– पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त राशि रू. 6,28,082/–की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2012–13 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 14 प्रतिशत से कर योग्य माल का आयात राज्य के बाहर से घोषणा पत्र 'सी' के विरूद्ध 2 प्रतिशत की रियायती दर से केन्द्रीय बिक्री कर चुकाकर किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में 'पूंजीगत माल' के रूप में किया गया है। माल पुनः विक्रयार्थ आयातित नहीं होने के कारण तथा अपीलार्थी द्वारा 'सी' फार्म का दुरूपयोग किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा	

12 प्रतिशत के कर दर से अन्तर कर का आरोपण किया, तथा इसी क्रम में ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है। उक्त प्रकार से आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति की वसूली का स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने शास्ति राशि रू. 7,13,748/–की वसूली को स्थगित करते हुए शेष राशि रू. 6,28,082/–पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश को विवादित करते हुए शेष राशि रू. 6,28,082/–का स्थगित करने का निवेदन किया गया है।

स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में 'सी' फार्म के विरूद्ध रियायती दर से माल क्रय करने का बिन्दु निहित है। बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार करने के पश्चात, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में स्थगन हेतु शेष रही विवादित राशि रू. 6,28,082/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्यात जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष